

Form No. III
फॉर्म अहकाम
 (नियम 26)

1

ज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मूकाम श्री विजयनगर
 त्कार बनाम सुभाष - राजेश फौज ओम प्रकाश जाति विधान 6A5

हस्त मुकदमा राज. उप. अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 52 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
01/20/18	<p>पटवारी हल्का <u>S.A.S.R.</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>6 A5</u> के मुरब्बा नं. <u>17</u> के <u>0.506</u> बीघा, भूमिरकबा राज है जिस पर श्री <u>सुभाष - राजेश</u> पुत्र श्री <u>ओम प्रकाश</u> जाति <u>विधानेरी</u> सा. <u>6 A5</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2024</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काशत कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाये। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलय किया जाये। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदायर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जाये।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>14/02/18</u> को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शांति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	<p>रिपोर्ट क्रमांक 63 <u>28/1/18</u></p> <p>उम्मीद आदेश क्रमांक <u>64</u> <u>28/1/18</u></p> <p>Subesh</p>



1/2
ज्यालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

पत्र सं० 52 वर्ष 2018

स्थान सरकार बनाम सुभाष-राजेश 510 ओम्पुबाग

प्रतिकरण दिनांक 25/01/2018 निर्णय दिनांक 14/2/18

स्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
2/18	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् <u>2074</u> में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का <u>545B</u> का प्रतिवेदन दिनांक <u>25/1/18</u> को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी <u>सुभाष-राजेश</u> पुत्र <u>ओम्पुबाग</u> जाति <u>(वि.श.ग.)</u> निवासी <u>645</u> को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक <u>645</u> मु.नं. <u>1733</u> कुल <u>0.506</u> है० सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू० राजस्व की दर का <u>50%</u> गुणा राशि <u>202-00</u> शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू०अधि० <u>406B</u> को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बंदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक <u>14/2/18</u> को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर </p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. <u>26</u> की क्रम सं. <u>14</u> दिनांक <u>12-3-18</u> को <u>202-</u> दर्ज किया गया।</p> <p style="text-align: right;">  ता०रा०ले० </p>	